कृषि निदेशालय,बिहार,पटना

संचिका संख्या–2 (गो०)सी०–02–123/16– /कृ0, पटना, दिनांक– 2017

आदेश

ऐसा प्रतीत होता है कि श्री खेदन मांझी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, हुसैनगंज, सिवान के विरूद्ध राष्ट्रीय कृषि विकास कोषांग के गै0स0प्रे0सं0–158 दिनांक–08.02.2016 द्वारा पैडी ड्रमसीडर से धान की खेती प्रत्यक्षण नहीं करने तथा आदेश के अवहेलना करने का आरोप प्रतिवेदित है, जो यदि सिद्ध हो गयी तो इन्हें वृहत दण्ड दिया जा सकेगा।

2. अतः श्री मांझी के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–17 से 21 में विहित प्रक्रियाओं के तहत आरोप पत्र में विहित अभियोग के लिए विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया।

3. इस विभागीय कार्यवाही के लिए संचालन पदाधिकारी के रूप मे संयुक्त निदेशक (शष्य), सारण प्रमंडल, छपरा को नियुक्त किया जाता है एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान को नियुक्त किया जाता है।

4. इस आदेश की एक प्रतिलिपि अनुलग्नों सहित श्री खेदन मांझी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, हुसैनगंज, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित की जा रही है।

ह०/–

(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक,बिहार, पटना

ई0–मेल0
निबंधित

ज्ञापांक /कृ0, पटना, दिनांक 2017

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ संचालन पदाधिकारी संयुक्त निदेशक (शष्य), सारण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि ससमय कार्रवाई समाप्त कर विभागीय कार्यवाही के सभी मूल अभिलेखों सहित अपना जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय। विभागीय कार्यवाही की तिथि समय एवं स्थान से आरोपित पदाधिकारी श्री खेदन मांझी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, हुसैनगंज, सिवान को पूर्व में ही अवगत करा दें ताकि वे समय पर गवाह आदि प्रस्तुत कर सकें। आरोपित श्री मांझी को इस आदेश की एक प्रति भेज दी गयी है साथ ही संचालन पदाधिकारी अपने स्तर से पत्र का तामिला कराना सुनिश्चित करेंगे एवं ससमय विभागीय कार्यवाही सम्पन्न कर विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

ह०/–

कृषि निदेशक, बिहार, पटना

निबंधित ज्ञापांक /कृ0, पटना, दिनांक 2017

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक के प्रति के साथ श्री खेदन मांझी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, हुसैनगंज, सिवान को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

कृषि निदेशक,बिहार,पटना

निबंधित/ई0मेल0 ज्ञापांक /कृ0, पटना, दिनांक 2017

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक के प्रति के साथ प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आपको निदेश दिया जाता है कि विभागीय कार्यवाही सम्पन्न करने में संचालन पदाधिकारी को अपने स्तर से पूर्ण सहयोग देने का कष्ट करेंगे।

ह०/–

कृषि निदेशक, बिहार, पटना

निबंधित/ई0मेल0 ज्ञापांक /कृ0, पटना, दिनांक 2017

प्रतिलिपि– संयुक्त निदेशक (शष्य), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/ जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

कृषि निदेशक,बिहार,पटना

ज्ञापांक 877 /कृ0, पटना, दिनांक 10/08/ 2017

प्रतिलिपिः– कृषि निदेशक के आप्त सचिव/निदेशक (प्र०)–सह–अपर सचिव/संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 शाखा को संबंधित सभी को ई0–मेल0 हेतु।

11.8.17

कृषि निदेशक, बिहार, पटना

02.08.17

D:\Prakash se-2\Proseding.docx